

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11666 / 5039

दिनांक :- 03/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री कविता कुमारी बैरवा [लिंक न. 11666] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर - [6341] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/09/2018 से 05/10/2018 तक 12 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री कविता कुमारी बैरवा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 22/09/2018, 23/09/2018, 06/10/2018, 07/10/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11666 / 5039

दिनांक :- 03/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री कविता कुमारी बैरवा [11666] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10454 / 5040

दिनांक :- 03/02/2020

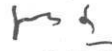
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री कुलदीप आर्य [लिंक न. 10454] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टाँक - [1127] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री कुलदीप आर्य की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 29/09/2018, 30/09/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10454 / 5040

दिनांक :- 03/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टाँक
2. कोषाधिकारी टाँक
3. श्री /श्रीमती / सुश्री कुलदीप आर्य [10454] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, टाँक
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसं III/निप लिंक न. 10152/ 5041

दिनांक :- 03/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री राजा राम मीणा [लिंक न. 10152] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, गृह विभाग, अजमेर - [5267] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/05/2019 से 24/05/2019 तक 24 दिवस

कुल 24 दिवस

उक्त कुल 24 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री राजा राम मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 25/05/2019, 26/05/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10152/ 5041

दिनांक :- 03/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, गृह विभाग, अजमेर
2. कोषाधिकारी अजमेर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री राजा राम मीणा [10152] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, गृह विभाग, अजमेर
4. अतिरिक्त निजी राचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10268 / 5042

दिनांक :- 03/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार [लिंक न. 10268] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, रामेश्वर लाल सहरिया राजकीय महाविद्यालय, शिक्षा विभाग (उच्च), कालाडेरा, जयपुर - [265] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/07/2017 से 05/08/2017 तक 13 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 10/08/2017 से 19/08/2017 तक 10 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 11/03/2019 से 16/03/2019 तक 6 दिवस

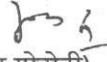
दिनांक 16/05/2019 से 22/05/2019 तक 7 दिवस

दिनांक 24/05/2019 से 31/05/2019 तक 8 दिवस

दिनांक 11/06/2019 से 26/06/2019 तक 16 दिवस

कुल 60 दिवस

उक्त कुल 60 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 23.07.2017, 06.08.2017, 07.08.2017, 20.08.2017, 10.03.2019, 17.03.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10268 / 5042

दिनांक :- 03/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, रामेश्वर लाल सहरिया राजकीय महाविद्यालय, शिक्षा विभाग (उच्च), कालाडेरा, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार [10268] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्राचार्य, रामेश्वर लाल सहरिया राजकीय महाविद्यालय, शिक्षा विभाग (उच्च), कालाडेरा, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12196/5043

दिनांक :- 03/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार रघोया [लिंक न. 12196] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर - [6341] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/01/2019 से 11/01/2019 तक 9 दिवस

दिनांक 27/05/2019 से 21/06/2019 तक 26 दिवस

कुल 35 दिवस

उक्त कुल 35 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार रघोया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 12/01/2019, 13/01/2019, 25/05/2019, 26/05/2019, 22/06/2019, 23/06/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12196/5043

दिनांक :- 03/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रवि कुमार रघोया [12196] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.4(ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 10199 | 5054

दिनांक :- 3.2.2020

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री अखिलेश चौधरी (लिंक नं. 10199) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर-848 को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04.07.2017 से 07.07.2017 तक 4 दिवस

दिनांक 08.08.2017 से 11.08.2017 तक 4 दिवस

कुल 8 दिवस

उक्त कुल 8 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री अखिलेश चौधरी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

124

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 10199 | 5054

दिनांक :- 3.2.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर।
2. कोषाधिकारी, उदयपुर।
3. श्री/श्रीमती/सुश्री अखिलेश चौधरी (लिंक नं. 10199) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

1

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10113/5045

दिनांक :- 30-2-2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री तेज सिंह [लिंक न . 10113] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, कठूमर, अलवर - [8266] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री तेज सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10113/5045

दिनांक :- 30-2-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, कठूमर, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री तेज सिंह [10113] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, कठूमर, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)